भारत सरकार
खान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1696
दिनांक 04.08.2025 को उत्तर देने के लिए

परियोजना निगरानी इकाई द्वारा खदानों का परिचालन

1696 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यह देखते हुए कि 2015 से नीलाम किए गए 404 गैर-कोयला खनिज ब्लॉकों में से केवल 50 ही चालू हो पाए हैं, परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) खनन कार्यों में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठा रही है; और
(ख) कुल 364 मंजूरियों की प्रतीक्षा कर रही 92 वाणिज्यिक कोयला खदानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) दिनांक 29 जुलाई, 2025 तक, नीलाम की गई 542 खानों में से 66 खानें प्रचालनरत हैं। परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) खनिज ब्लॉकों के प्रचालन की गति बढ़ाने में मंत्रालय की सहायता करती है, जिसमें सफल बोलीदाताओं को केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के साथ संपर्क स्थापित करके विभिन्न एजेंसियों से मंजूरी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना शामिल है ताकि अनुमोदनों को सुव्यवस्थित किया जा सके और सभी खानों के लिए मंजूरी की वास्तविक समय स्थिति बनाए रखी जा सके। पीएमयू ने नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के प्रचालन की स्थिति में प्रगति की निगरानी के लिए एक "माइनिंग डैशबोर्ड" भी विकसित किया है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

i. नीलामी बिंदु से लेकर प्रचालन तक नीलाम किए गए प्रत्येक खनिज ब्लॉक की लगभग वास्तविक समय पर ट्रैकिंग को संभव बनाता है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियां और वैधानिक मंज़ूरियां शामिल हैं;

ii. आशय पत्र जारी करना, खनन योजना अनुमोदन, पूर्वेक्षण प्रस्तुतिकरण योजना, पर्यावरण और वन मंज़ूरियां, भूमि अधिग्रहण, पट्टा विलेख का निष्पादन और ब्लॉकों के प्रचालन जैसे अनुमोदनों के प्रमुख चरणों की निगरानी करता है, जिसमें विलंब एवं गैर-अनुपालन संबंधी मुद्दों, यदि कोई हों, पर प्रकाश डाला जाता है;

iii. राज्य, खनिज के प्रकार और मंज़ूरी चरण के अनुसार फ़िल्टर के साथ इंटरैक्टिव डैशबोर्ड प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता राज्यों और विभिन्न ब्लॉक श्रेणियों में प्रगति का आकलन कर सकते हैं;

iv. महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के लिए लक्षित ट्रैकिंग प्रदान करता है, जिससे हितधारकों को प्रचालन की गति का मूल्यांकन करने और विशिष्ट बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है; और

v. खनन, पर्यावरण, वन और राजस्व विभागों/मंत्रालयों में प्रचालनात्मक और विनियामक डेटा को एकीकृत करके अंतर-विभागीय और केंद्र-राज्य सहयोग को बढ़ाता है, जिससे सूचित नीतिगत निर्णय और लक्षित शासन सुधार सुगम होते हैं।

(ख) कोयला मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रगति पर नज़र रखने, लंबित मुद्दों को सुलझाने और वैधानिक मंज़ूरी की सुविधा के लिए कोयला ब्लॉक आवंटियों, राज्य अधिकारियों और केंद्रीय प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बहु-स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। आवंटियों को वैधानिक मंज़ूरी प्राप्त करने, प्रगति की निगरानी करने, बाधाओं की पहचान करने और अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से समय पर समाधान सुनिश्चित करने में सहायता के लिए एक समर्पित पीएमयू भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 11.01.2021 को एकल विंडो मंजूरी प्रणाली (एसडब्ल्यूसीएस) पोर्टल शुरू किया है, जो एकीकृत पोर्टल के माध्यम से वैधानिक मंज़ूरी की प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। वाणिज्यिक खनन योजना के तहत, उत्पादन की निर्धारित तिथि से पहले उत्पादित कोयले के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट प्रदान की जाती है ताकि प्रचालनों को शीघ्र शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

*****